

श्री १५२५.

पत्रावली पेश हुयी। वादी अधिवक्ता
उपस्थित। प्रतिवादी १ की ओर से अधि
दाजिरा पत्रावली के अवलोकन से
यह तथ्य सामने आया है कि प्रतिवादी गणों
पर समन की तामील इसलिए नहीं
हुयी क्योंकि वादी/अधि०
डाक फीस (Postal charge)

श्री
अधिवक्ता
अधिवक्ता




दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

देने में विफल रहा है। अतः वादी
का वाद आदेश 09 नियम 02, CPC
के तहत खारिज किया जाता है।

फैसला आज खुले अदालत में
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दर्ज नम्बर से कम है।


[Illegible stamp text]